निदेशालय साक्षरता एवं सतत शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : प–5(1)क–10/2009/ 4135–55 दिनांक 16/6/2010

विज्ञप्ति

राजस्थान के विभिन्न जिलों में जिला साक्षरता एवं सतत शिक्षा अधिकारियों के रिक्त पद को भरने हेतु प्रौढ़ शिक्षा विशेष चयन नियम–1980 के अनुसार आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है –

पद का नाम	संभावित रिक्त पदों की संख्या	निर्धारित योग्यता एवं शर्ते
जिला साक्षरता एवं सतत शिक्षा अधिकारी	11	राज्य शिक्षा सेवा के ऐसे अधिकारी, जो वर्तमान में ऐसे पदों पर कार्यरत हों जिनके पद का पे बैण्ड एवं ग्रेड पे निम्न में से कोई एक हो। राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम–2008 में पे बैण्ड 2 (9300–34800) ग्रेड पे नं. 15 पे ग्रेड 5400, पे बैण्ड 3 (15600–39100) ग्रेड पे नं. 16 ग्रेड पे 6000 एवं पे बैण्ड 3 (15600–39100) ग्रेड पे नं. 17 ग्रेड पे 6600 तथा उक्त पदों पर एकल रूप से या सम्मिलित रूप से न्यूनतम 5 वर्ष कार्य करने का अनुभव रखते हों।

जिला साक्षरता एवं सतत शिक्षा अधिकारी के पद हेतु पूर्ण रूप से भरे हुए निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र **दिनांक 30.6.2010 को सायं 6.00 बजे** तक निदेशालय साक्षरता एवं सतत शिक्षा राजस्थान, ब्लॉक नम्बर–5, प्रथम तल, ड़ा. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302015 में पहुंच जाने चाहिए । इसके पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा । निर्धारित प्रारूप निदेशालय की वेबसाइट (www.rajliteracy.org) से, निदेशालय से तथा सम्बन्धित जिला साक्षरता एवं सतत शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है ।

निदेशक

क्रमांक : प–5(1)क–10/2009/ 4135–55 दिनांक 16/6/2010

प्रतिलिपि

1 निदेशक, जनसम्पर्क विभाग राजस्थान, जयपुर
2. निजी सचिव, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3 प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
5. सम्बन्धित जिला कलक्टर
6. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
7. निदेशक, दूरदर्शन केन्द्र, झालाना डूंगरी, जयपुर को रोजगार समाचारों में प्रसारित करने हेतु
8. निदेशक, आकाशवाणी केन्द्र, जयपुर को रोजगार समाचारों में प्रसारण हेतु
9. बिल लिपिक, रोकड़ अनुभाग, स्थानीय कार्यालय को विज्ञापन बिलों के भुगतान कार्यवाही हेतु

निदेशक

अजय